न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
798 / 2024	07.08.2024	29.08.2024

उनवान

1. काशीराम पुत्र भैरू नायक उम्र वयस्क निवासी बडलियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. बरजी पत्नी जमना धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
2. चत्रभुज पुत्र भुरा उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
3. मुलचन्द पुत्र तुलसीराम खटीक उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
4. प्यारा पुत्र चन्दा कीर उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
5. रामा पुत्र चन्दा कीर उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
6. मदन पुत्र चुना कीर उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
7. मांगी पुत्र चुना कीर उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
8. सुखलाल पुत्र चुना कीर उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
9. देबी पुत्र हमीरा कीर उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
10. भैरू पुत्र हमीरा कीर उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
11. परसराम पुत्र भवाना कीर उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
12. हीरा पुत्र भवाना कीर उम्र वयस्क निवासी बडलियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
13. कजोड़ पुत्र गिरधारी कीर उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
14. लक्ष्मण पुत्र मोती कीर उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
15. शंकर पुत्र मोती कीर उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
16. उदा पुत्र प्रताप कीर उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
17. कालू पुत्र नन्दा दरोगा उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
18. भैरू पुत्र नन्दा दरोगा उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
19. छोटू पुत्र मोहन दरोगा उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
20. देबी पुत्र मोहन दरोगा उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
21. सत्यनारायण पुत्र काना ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

Ahad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

22.काना पुत्र श्रीकिशन जाट उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

23.भैरू पुत्र श्रीकिशन जाट उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

24.घनश्याम पुत्र लीलाराम सिन्धी उम्र वयस्क निवासी 184 सिन्धुनगर तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

25.राधा पत्नी आशाराम ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

26.विद्यासागर पुत्र मदनलाल ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

27.जसराज पुत्र मोहनलाल ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

28.प्रीतम पुत्र शिव कुमार पाराशर उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

29.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी श्री अनिल कुमार ओझा
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 28 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बड़लियास प0ह0 बड़लियास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बड़लियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 1215 की अभिलिखित आराजियात 1558, 1559, 1561 कुल किता 03 कुल रकबा 1.8582 हैक्टेयर व खाता संख्या 1216 की आराजी संख्या 1560, 1563, 1564, 1877, 1887, 1888, 1889 कुल किता 07 कुल रकबा 3.4137 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 28 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सवाईपुर को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा बड़लियास प0ह0 बड़लियास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बड़लियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 1215 की अभिलिखित आराजियात 1558, 1559, 1561 कुल किता 03 कुल रकबा 1.8582 हैक्टेयर व खाता संख्या 1216 की आराज़ी संख्या 1560, 1563, 1564, 1877, 1887, 1888, 1889 कुल किता 07 कुल रकबा 3.4137 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार सवाईपुर को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार सवाईपुर को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा